रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 44] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 1999/माघ 14, 1920
No. 44] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 1999/MAGHA 14, 1920

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1999

सा.का.नि. 61 (अ).— लोक ऋण नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) के उपखंड (क)(iv) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और इसके द्वारा सूचना देती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

किसी आक्षेप या सुझाव पर जो उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी;

प्रारूप नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव करने वाला इच्छुक कोई व्यक्ति उसे केन्द्रीय सरकार के द्वारा विचार करने के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेज सकता है।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक ऋण (संशोधन) नियम, 1999 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक ऋण नियम, 1946 में,—

   (1) नियम 7 में, उपनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

   "(6) किसी सरकारी प्रतिभूति को प्राप्तकर्ता कार्यालयों में अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अनुसूचित बैंक की किसी शाखा में धारक के खाते में बंधपत्र खाता लेखा के नाम से ज्ञात किसी लेखा में अतात्विक प्ररूप में रखा जा सकेगा और बंधपत्र खाता लेखा में धारित बंधपत्रों को, प्ररूप 3छ में किसी लिखित के निष्पादन द्वारा पूर्णत: या भागत: अंतरित किया जा सकेगा तथापि, अंतरक को जिससे अंतरण संबंधित है बंधपत्रों का धारक समझा जाएगा जब तक कि अंतरिती का नाम प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा बंधपत्रों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं कर लिया जाता है।";

(2) नियम 9 में

(i) उपनियम (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) जहां किसी सरकारी वचनपत्र पर ब्याज किसी लोक ऋण कार्यालय में संदेय है वहां इसे सरकारी वचनपत्र के प्रस्तुत करने पर,—

(i) बैंक के स्थानीय कार्यालय में या बैंक के अभिकर्ता या उप अभिकर्ता के रूप में कार्यरत किसी अन्य बैंक में संदेय धारक के पक्ष में एक ब्याज वारंट जारी करेगा,

(ii) ब्याज का संदाय, किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनन्यत: या संयुक्तत: धारक द्वारा रखे गए किसी बैंक लेखा में राशि को जमा करके किया जाएगा।";

(ii) उपनियम (2) में "स्टाक पर स्टाक-ब्याज यदि कोई हो, लोक ऋण कार्यालय द्वारा जारी किए गए वारंट द्वारा संदत्त किया जाएगा और बैंक के स्थानीय कार्यालय या किसी अन्य बैंक में (जो बैंक के अभिकर्ता या उप-अभिकर्ता के रूप में कार्यरत हो) संदेय होगा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनन्यत: या संयुक्तत: धारक द्वारा रखे गए किसी बैंक लेखा में राशि जमा करके किया जाएगा।"

(iii) उप नियम (2) में, खंड (ख) में "ब्याज के संदाय के समय स्टाक प्रमाणपत्र को पेश करना अपेक्षित नहीं होगा किंतु पाने वाला वारंट के पृष्ठ भाग पर प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"केवल वहां के सिवाए जहां ब्याज पाने वाले के बैंक लेखा में जमा किया जाता है।";

(3) प्ररूप 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप II

(नियम 7 देखिए)

अंतरण का प्ररूप

मैं/हम * ....

....

.... रु० के .... ऋण के .... प्रतिशत के लिखित स्टाक में अपने/हमारे हित या शेयर को समनुदेशित और अंतरति करता हूं/हैं जो इस लिखित के अंतिम मूल्य पर यथाविहित मूल्य और उस पर उद्भूत ब्याज सहित .... रु० की राशि/कोई भाग है, उसको/उसके निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों को अंतरित करता हूं/करते हैं और मैं/हम* .... मुझे/हमें .... को अंतरित ऊपर स्टाक .... को इसके द्वारा उनके अंतरित होने की सीमा तक स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूं/करते हैं*।

मैं/हम* ....

(अंतरिती)

मुझे/हमें इसके द्वारा अंतरित स्टाक के धारक/धारकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें अंतरित किए गए उपर्युक्त स्टाक प्रमाणपत्र की सीमा तक उपर्युक्त स्टाक प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों को मेरे/हमारे नाम/नामों में नवीकृत कर दें/मेरे/हमारे नाम/नामों में संपरिवर्तित कर दें।

**मैं/हम .... अनुरोध करता हूं/करते हैं कि उसे/उन्हें इसके द्वारा अंतरित स्टाक के धारक(धारकों) के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने पर उपर्युक्त अंतरिती (अंतरितियों) के उपर्युक्त स्टाक प्रमाणपत्रों को उस सीमा तक जो उसे/उन्हें अंतरित नहीं किए गए हैं, मेरे/हमारे नाम (नामों) में नवीकृत कर दिए जाएं।

तारीख : .... को साक्षी के रूप में इस पर हमने अपने हस्ताक्षर किए।

ऊपर नामित अंतरक ने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए*

(अंतरक)

पता

ऊपर नामित अंतरिती ने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए*

(अंतरिती)

पता

* साक्षी के हस्ताक्षर, उपजीविका और पता

**उस विकल्प का लोप कर दें जो लागू नहीं होता

***इस पैरा का केवल तब उपयोग किया जाएगा जब किसी प्रमाणपत्र का भाग अंतरित किया जाता है।

अंतरित

स्टाक प्रमाणपत्र की

जारी की गई सं. ············ तारीख ······ प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक

लोक ऋण कार्यालय

टिप्पण

प्ररूप को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर उसके निष्पादन की तारीख से ब्याज को जारी करने के प्रयोजन के लिए विहित किए गए (जिसके अंतर्गत "बंद" रहने की अवधि नहीं है) एक मास के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को पेश किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर यह खारिज किए जाने का दायी होगा।

(4) प्ररूप IIIच, के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 3 III छ

[नियम 7(6) देखिए]

अंतरण का प्ररूप

बंध पत्र खाता लेखा

मैं/हम

[अंतरक (कों)]

·········· रु. की राशि के ········ बंधपत्र के बंधपत्र खाता लेखा में मेरे/अपने हित को जो बंधपत्र खाता सं. ········· में उस पर उद्भूत ब्याज सहित, और जो तारीख ········· को भुगतान के लिए देय है में धारित ········ रु. के बंधपत्रों की राशि/उसका भाग है,

(अंतरिती/अंतरितियों)

उसके/उनके निष्पादकों, प्रशासकों या समनुदेशितियों को समनुदेशित और अंतरित करता है/करते हैं और मैं/हम

(अंतरिती/अंतरितियों)

····रु. की राशि के (संचयी/असंचयी) ऊपर बंधपत्र खाता लेखा संख्या ········· में बंधपत्रों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूं/करते हैं।

मैं/हम

(अंतरिती/अंतरितियों)

अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें, मुझे/हमें अंतरित बंधपत्रों के धारक/धारकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए और मेरे/हमारे नाम में एक बंधपत्र खाता लेखा खोल दिया जाए।

*मैं/हम

(अंतरक/अंतरकों)

इसके द्वारा अनुरोध करता हूं/करते हैं कि इसके द्वारा उसे/उनको अंतरित बंधपत्रों धारक/धारकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत उपर्युक्त अंतरिती/अंतरितियों के नाम में उसे/उन्हें अंतरित न किए गए बंधपत्रों की सीमा तक मेरा/हमारा बंधपत्र खाता लेखा मे. .... जारी रखें।

तारीख ....

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर नामित अंतरकों द्वारा हस्ताक्षरित
अंतरक का नाम और हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर, नाम पता उपजीविका और पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर नामित अंतरिती द्वारा हस्ताक्षरित
अंतरिती (अंतरितियों) का नाम और हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर, नाम, उपजीविका और पता

पता

जो लागू न हो उन विकल्पों का लोप कर दें

*इस पैरा का केवल तब उपयोग किया जाएगा जब बंधपत्र के किसी भाग का अंतरण किया जाता है। अंतरक और अंतरिती के लिए साक्षी भिन्न-भिन्न होने चाहिए।

*अवयस्क की दशा में जन्म के प्रमाणपत्रों की प्रति के साथ पृथक घोषणा पेश की जाएगी।

"**टिप्पण**—प्रारूप को इसके निष्पादन की तारीख से एक माह के अन्दर प्रापक-कार्यालय को पेश किया जाना चाहिए जिसके न हो सकने पर यह खारिज किये जाने का दायी होगा।"

[फा. सं. 4(5)-पीडी/98]

जे. एस. माथुर, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 3rd February, 1999

G.S.R. 61(E).— The following draft of certain rules further to amend the Public Debt Rules, 1946 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-clause (iv) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received with respect to the draft rules before the expiry of the said period will be considered by the Central Government;

A person desiring to make any objection or suggestion in respect of the draft rules, may forward the same for consideration by the Central Government within the period specified above to the Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 199[illegible].

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Public Debt Rules, 1946,

(1) in rule 7, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

" (6) A Government security may be held in a dematerialised form, at the credit of the holder in an account called 'Bond Ledger Account' with the Receiving Officies, namely, Public Debt Offices of the Reserve Bank of India or any branch of a scheduled bank authorised by the Reserve Bank of India in this behalf and the bonds held in the Bond Ledger Account shall be transferable either wholly or in part by execution of an instrument in form III G. The transferor shall, however, be deemed to be the holder of the bonds to which the transfer relates until the name of the transferee is registered as holder of the bonds by the Receiving Office.";

(2) in rule 9,

(i) in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

(b) Where interest on a Government promissory note is made payable at a Public Debt Office, it shall, on presentation of the Government promissory note,-

(i) issue an interest warrant in favour of the holder payable at the local office of the Bank or any other bank acting as agent or sub-agent of the Bank; or

(ii) pay interest by crediting the amount in a bank account held by the holder exclusively or jointly with any other person.";

(ii) in sub-rule (2), after the words "Stock-Interest, if any, on stock shall be paid by warrants issued by the Public Debt Office and payable at the local office of the Bank, or any other bank (acting as agent or sub-agent of the Bank)," the following words shall be inserted:-

" or by crediting the amount in a bank account held by the holder exclusively or jointly with any other person."

(iii) in sub-rule (2), after clause (b) and at the end of the words " The presentation of stock certificate shall not be required at the time of payment of interest but the payee shall acknowledge receipt at the back of the warrant," the following words shall be added:-

" except where interest is credited to the bank account of the payee.";

(3) for form II, the following form shall be substituted, namely:-

Form II
[See Rule 7]
FORM OF TRANSFER

I/We $ ____

____
do hereby assign and transfer my/our $interest or share in the Inscribed Stock of the ___ per cent loan _______ amounting to Rs. ______________________ being the amount/ a portion $ of the Stock of Rs. ______________________ as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto

____
his/her/their $ executors, administrators or assigns, and I/We $ ______________ ______________________ do freely accept the above Stock ______________ transferred $ ______________________ to me/us.$ to the extent it has been transferred$

I/We $ ______________________________ hereby request that on my/
[transferee(s)]
our$ being registered as the holder/s $ of the stock hereby transferred to me/us$ the aforesaid stock certificate/s $ the aforesaid stock certificate to the extent it has been transferred to me/us$ may be renewed in my/our $ name(s)/ converted in my/our $ name(s).

**I/We $ ______________________ hereby request that on the above transferee(s)$ being registered as the holder(s) $ of the stock hereby transferred to him/them$, the aforesaid stock certificate to the extent it has not been transferred to him/ them$ may be renewed in my/our$ name(s).

As witnessed our hand the __________ day of __________ One thousand nine hundred ______________.

Signed by the above-named Transferor in the presence of * ______________________) (Transferor) ______________
______________________) Address ______________
______________________) ______________________
______________________)

Signed by the above-named Transferee in the presence of * ______________________) (Transferee) ______________
______________________) Address ______________
______________________) ______________________
______________________)

* Signature, occupation and address of witness.
$ Omit the alternative which does not apply.
** This paragraph to be used only when portion of a certificate is transferred.

Transferred
S/C issued No. ______________ dated ______________, Manager, Reserve bank of India, P.D.O.,

NOTE

The form should be submitted to RBI within one month (excluding the "shut" period prescribed by RBI from time to time for the purpose of issue of interest) from the date of execution thereof failing which, it is liable to be rejected. "

(4) after form III F, the following form shall be inserted, namely:-

FORM III G
[See Rule 7(6)]

FORM OF TRANSFER
BOND LEDGER ACCOUNT

I/We

(Transferor/s)

do hereby assign and transfer my/our interest in the Bond Ledger Account of the ....Bonds amounting to Rs.................being the amount/portion of the bonds for Rs..................held in Bond Ledger Account No............together with accrued interest thereon, due for repayment on ...., to

(Transferee/s)

his/her/their executors, administrators or assignees and I/We

(Transferee/s)

do freely accept the Bonds in the above Bond Ledger Account No. ( ) amounting to Rs.................. (Cumulative/Non-Cumulative).

I/We

(Transferee/s)

request that I/we may be registered as the holder/s of the Bond hereby transferred to me/us and a Bond Ledger Account may be opened in my/our name.

*I/We

(Transferor/s)

hereby request that on the above transferee(s) being registered as the holder(s) of the Bond hereby transferred to him/them the aforesaid bond to the extent it

has not been transferred to him/them may continue in my/our Bond Ledger Account No.........

Dated this ______ day of ___________ One thousand nine hundred and __________

Signed by the above named transferor in the presence of witness's signature, name, occupation and address

Name of Transferor & Signature

Address

Signed by the above named transferee in the presence of witness's signature, name, occupation and address

Name of Transferee(s) & Signature

Address

Omit the alternatives which do not apply

* This paragraph is to be used only when a portion of the bond is transferred. Witness should be different for transferor and transferee.

* In case of minor separate declaration with birth certificates copy is to be submitted.

"Note: The form should be submitted to the Receiving Office within one month from the date of execution thereof failing which it is liable to be rejected."

[No. F. 4(5)-PD/98]

J. S. MATHUR, Addl. Secy. (Budget)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.